पटना विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन, किशोर कुणाल और सुधा वर्गीज़ को बनाया गया सदस्य

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2023 को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विपुल एम. पंचोली की अध्यक्षता में विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किया गया। इस आठ सदस्यीय समिति में आचार्य किशोर कुणाल समेत तीन गैर-पदेन सदस्यों को नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित तीन गैर-पदेन सदस्यों में पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर को शामिल किया गया है। अन्य दो सदस्यों में समाजसेवी सुधा वर्गीज़ और सेवानिवृत्त ज़िला जज ओम प्रकाश शामिल हैं।
- समिति में महाधिवक्ता समेत कुल तीन पदेन सदस्य होंगे। दो अन्य पदेन सदस्यों में पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह एवं पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह शामिल हैं।
- सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। समिति में अध्यक्ष और सदस्य सचिव समेत कुल 8 सदस्य होंगे।
- समिति पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करती है। इस पैनल के अधिवक्ताओं की सेवा उन ज़रूरतमंदों तक निःशुल्क पहुँचाई जाती है, जो गरीबी के कारण कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/patna-legal-services-committee-reconstituted-kishore-kunal-and-sudha-varghese-made-members